न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

ठासीन अधिकारी :– जोगेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

कदमा नम्बर 01/2025 अपील नामान्तरणकरण

01. जगदीश पुत्र श्री रामचन्द्र खाती आयु वयस्क निवासी– चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गणपत पुत्र श्री रामचन्द्र खाती आयु वयस्क निवासी– चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) –– अपीलार्थीगण

बनाम

01. रामलाल पुत्र श्री मांगू कुमावत आयु वयस्क निवासी– चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
02. गीता पुत्री श्री मांगू कुमावत आयु वयस्क निवासी– चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
03. ग्राम पंचायत चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा जरिये सरंपच ग्राम पंचायत चावण्डिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

–– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामान्तरणकरण संख्या 25 दिनांक 29/04/1964 ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
अपील अन्तर्गत धारा– 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

पस्थित :–

01. श्री अशोक लखारा –अधिवक्ता अपीलार्थी
02. श्री कमलेश मेहता ––अधिवक्ता प्र.सं.1 व 2
03. . एकपक्षीय –– प्रत्यर्थी संख्या 3 व 4

:: निर्णय :: दिनांक– 19.03.2025

अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नामान्तरणकरण ंख्या 25 दिनांक 29/04/1964 को निरस्त कराया जाने हेतु अपील इस आशय की पेश कि सरहद ाम चावण्डिया पटवार हल्का चावण्डिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र निम्बाहेड़ा जाटान तहसील करेड़ा ंला भीलवाड़ा मे आराजी नम्बर 1272 रकबा 0.3920 हैक्टयर, आराजी नम्बर 1273 रकबा 0.0506 क्टयर, आराजी नम्बर 1274 रकबा 0.3667 हैक्टयर कुल किता 03 रकबा 0.8093 हेक्टयर भूमि स्थित । उक्त आराजियात को अपील मे विवादग्रस्त आराजियात के नाम से संबोधित किया जायेगा। अपील ी चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजियात के साबिक आराजी नम्बर 377, 378/1 रकबा 01 बीघा 09 स्वा, आराजी नम्बर 377, 378/2 रकबा 01 बिस्वा, आराजी नम्बर 407,408,432, 433, 434/2 रकबा 2 बीघा है, जो कि अपीलार्थीगण के दादा हजारी जी के जमाने की है, जिस पर अपीलार्थीगण के ादा हजारी के देहान्त उपरान्त अपीलार्थीगण के पिता व अपीलार्थीगण के पिता के देहान्त उपरान्त पीलार्थीगण काविज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। अपीलार्थीगण के दादा हजारी या न्य द्वारा उक्त भूमि किसी को विकय नही की है व न ही कोई कब्जा दिया गया। दिनांक 5/05/2022 को प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 व उनकी माता द्वारा जबरन बेदखल करने की नियत से िकाई कर दी व उक्त भूमि उनके नाम पर दर्ज होने की बात बतायी, जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा ाजस्व रेकार्ड की जानकारी करने पर उक्त भूमि प्रत्यर्थीगण के नाम पर गलत तौर पर दर्ज होने की ानकारी हुई, इस पर इन्द्राज दुरूस्ती का वाद पेश किया, इसके पश्चात अपीलार्थीगण द्वारा पुनः उक्त ूमि पर कब्जा कर लिया, जिस पर काविज होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। हाल ी मे प्रत्यर्थीगण द्वारा राजस्व वाद व प्रार्थनापत्र मे उक्त भूमि कय करना व उनके पिता मांगू द्वारा कय करने का दस्तावेज पेश किया व बिकाव के नामान्तरणकरण के जरिये भूमि दर्ज होने की बात कही, इस र अपीलार्थीगण द्वारा उक्त आलोच्य नामान्तरणकरण की नकल दिनांक 18.02.2025 को प्राप्त की, ब अपीलार्थीगण को जानकारी मे आया कि प्रत्यर्थी संख्या 01 एव 02 के पिता मांगू पुत्र श्री नारायण ुमावत द्वारा राजस्व कर्मचारीयो व ग्राम पंचायत से मिलीभगती कर फर्जी तरीके से फर्जी बिकाव नामा ियार कर उक्त भूमि का नामान्तरणकरण खोला है, विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर करेड़ा

प्रत्यर्थीगण द्वारा जो न्यायालय मे तथाकथित बिकाव की फोटो प्रतिया अपीलार्थीगण को दी, जिसके आधार पर उक्त विवादित नामान्तरणकरण खोला गया है, जिसके अवलोकन मात्र से ही प्रथम दृष्टया यह साबित होता है कि जो बिकाव की आराजी नम्बर खाली लाईन छोड रखी है, जिसमे बाद मे अलग हैड राईटिंग से भरा गया है व एक 40 नये पैसे का स्टाम्प मे तो लाईने भी खाली छोड रखी है, जिससे पूरे तथाकथित फर्जी एवं कूटरचित बिकाव नामा मे बिकाव की तारीख अंकित नही है, लेकिन विवादित नामान्तरणकरण मे बिकाव की तारीख 04/10/1963 अंकित की है, जो मनकसूद तरीके से की गयी है व साथ ही उक्त नामान्तरणकरण पटवार हल्का द्वारा दिनांक 01/07/1964 को भरा गया व पटवारी रिपोर्ट दिनांक 03/07/1964 की है व नामान्तरणकरण मे गिरदावर रिपोर्ट दिनांक 07/09/1964 की है, जबकि उक्त विवादित नामान्तरणकरण की स्वीकृति नामान्तरणकरण भरने से पूर्व ही दिनांक 19/04/1964 को फैसल बता दिया गया, जिसमे किसी भी सरपंच के हस्ताक्षर व शील भी नही है, जिससे सपष्ट है कि राजस्व कर्मचारीयो व ग्राम पंचायत के अधिकारीयो से मिलीभगती कर गलत तोर पर फर्जी तरीके से उक्त नामान्तरणकरण फैसल करवाया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। यहा पर यह लिखना सुंगत होगा कि तथाकथित फर्जी एवं कूटरचित बिकावनामा पर अपीलार्थीगण के दादा हजारी के जो अंगूठा निशानी है व तथाकथित विवादित नामान्तरणकरण पर हजारी की अंगूठा निशानी अंकित है, जो कि अलग अलग प्रतीत होती है, जिससे स्पष्ट है कि फर्जी एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कर मिलीभगती से विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो अपास्त होने योग्य है। विधि अनुसार 30 दिन मे ही नामान्तरणकरण की कार्यवाही करने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, इसके बाद की अवधि के नामान्तरणकरण तहसीलदार को स्वीकृत करने के अधिकार है, इसके बावजूद भी विधि से परे जाकर उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि पर प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 व उनके पिता मांगू का कभी भी कब्जा नही रहा है व न ही आज है व न ही बिकाव की गयी है, यदि बिकाव की जाती तो अवश्य ही कब्जा लिया जाता, लेकिन तथाकथित फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जिसमे आराजी नम्बर जो कि बाद मे लिखे हुए है, व फर्जी प्रतीत होते है। इसके बावजूद भी बिना जांच पडताल किये उक्त नामान्तरणकरण फैसल किया है, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर की गयी व प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये व प्रत्यर्थी संख्या 01 एवं 02 के द्वारा अधिकारपत्र प्रस्तुत किया गया व धारा 05 कानून मियाद अधिनियम का जवाब पेश किया गया व अपील मियाद बाहर होने से खारीज करने का निवेदन किया। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश 2018–19 (स्पलीमेन्ट्री) आरआरटी 145 गुट्टी देवी व अन्य बनाम बस्तीराम व अन्य निर्णय 26/07/2018बोर्ड ऑफ रेवन्यू आर.आर.टी 2002(1) पेज नम्बर 257 से 259 शिवोबाई बनाम शिम्भू व अन्यआर.आर.डी 2012 राजस्व मण्डल, अजमेर पेज नम्बर 413 से 420 श्रीमती रतनी व अन्य बनाम श्रीमती ममता व अन्य पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किये गये। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का अवलोकन किया गया व साथ ही अपील मे वर्णित तथ्यो का भी अवलोकन किया गया व अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण की बहस सुनी गयी व अपीलार्थी द्वारा अपील मेमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए नामान्तरणकरण फर्जी एंव कूटरचित दस्तावेज के आधार पर गलत तौर पर दर्ज होने से खारीज करने का निवेदन किया।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया, उक्त नामान्तरणकरण जो कि दिनांक 29/08/1964 का है व उक्त अपील जो कि करीब 60 वर्ष बाद पेश की है, जिसमे देरी का कोई उचित कारण अपीलार्थी द्वारा नही बताया गया है। अपील मियाद बाधित होने से अपील खारीज किया जाना उचित प्रतित होता है। अतः एव

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपीलार्थी द्वारा ग्राम पंचायत रामपुरिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा के नामान्तरणकरण संख्या 25 अपील मियाद बाधित होने से खारीज की जाती है।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)